तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज प्रार्थनापत्र अपील डिक्री/टी.ए./3431/2003/कोटा गौविन्दलाल बनाम ओमप्रकाश	नम्बर व तारीख

<u>न्यायालय - राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर</u>

<u>खण्डपीठ</u>

श्री राजेश कुमार दड़िया, सदस्य

श्री मदनलाल नेहरा, सदस्य

<u>उपस्थित :</u>

श्री भींयाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलार्थी।

<u>-आदेश-</u>

दिनांक 01.04.2025

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 व 152 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि मण्डल की खण्डपीठ द्वारा दिनांक 31-01-2025 को अपील संख्या 2003/3431 बउनवानी गौविन्दलाल बनाम ओमप्रकाश में निर्णय पारित किया गया था। उक्त निर्णय दिनांक 31-01-2025 के पृष्ठ संख्या-2 की पंक्ति संख्या 14 में दिनांक 19-04-90 अंकित किया गया है जबकि उसके स्थान पर दिनांक 19-04-1940 अंकित होने चाहिए थे। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या-3 की पंक्ति संख्या-4 में दिनांक 19-04-90 अंकित कर दिया गया है, जबकि उसके स्थान पर दिनांक 19-04-1940 अंकित किये जाने चाहिए थे। जिसे दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। अतः न्यायहित में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर, उक्तानुसार दुरूस्ती की जावे।

अधिवक्ता प्रार्थी/अपीलार्थी को सुनकर पत्रावली का अवलोकन किया गया। खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 31-01-2025 का अवलोकन किया गया। निर्णय दिनांक 31-01-2025 के अवलोकन से स्पष्ट है कि निर्णय के पृष्ठ संख्या-2 की पंक्ति संख्या-14 व पृष्ठ संख्या-3 की पंक्ति संख्या-4 में दिनांक 19-04-1940 के स्थान पर दिनांक 19-04-90 सहवन व टंकण त्रुटिवश अंकित हुए है तथा जो लिपिकीय त्रुटि प्रतीत होती है, जिन्हें दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः आदेश दिया जाता है कि निर्णय दिनांक 31-01-2025 के पृष्ठ संख्या- 2 की पंक्ति संख्या- 14 व पृष्ठ संख्या- 3 की पंक्ति संख्या- 4 में जहाँ दिनांक 19-04-90 अंकित किये गये है, के स्थान पर दिनांक 19-04-1940 पढ़ा जावे। प्रार्थना पत्र उक्तानुसार निस्तारित किया जाता है। यह आदेश निर्णय दिनांक 31-01-2025 का अभिन्न अंग रहेगा।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मदनलाल नेहरा)
सदस्य

(राजेश कुमार दड़िया)
सदस्य